गुंडे, वन विभाग और पुलिस जब....

पेज एक का शेष

घरों पर ताला तक मार देते थे और पुलिस ने इनके खिलाफ बोलने पर पुलिस भी शिकायतकर्ता को ही पीटने लगती है। अब मकान टूटने के बाद फिरसे ये गुंडे गरीबों को मारपीट की धमकी देने लगे हैं जिससे कि वे उनका नाम न लें।

सूरजकुंड थाना और वन विभाग ही करवाता रहा कब्जा

जितने भी लोगों के घर तोड़े उनमे सभी ने एक बात सामान रूप से बताई कि अनंगपुर गाँव के स्थानीय गुंडों ने इस पहाड़ी की जमीन उन्हें ये कह कर बेचीं कि ये उनकी जमीन है और इसपर प्रशासन का कोई रोल नहीं है। किसी को पक्के कागज नहीं दिए गए और जमीन के पैसे लेने के बदले में एक कोरे कागज पर जमीन की पैमाइश भर लिख कर दे दी गई। अनंगपाल कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आये हैं जिन्होंने जमीने बेची है और अब जब मामला तूल पकड़ने लगा है तो पीड़ित लोगों को ये धमका भी रहे हैं कि किसी भी सूरत में उनका नाम न लें। चूंकि ये लोग राजनीतिक और पैसे से प्रभावशाली लोग हैं इसलिए अपना सब कुछ उजड़ने के बावजूद पीड़ित उनका नाम खुल कर नहीं ले रहे हैं।

इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता इरशाद ने बताया कि इस लूट और अवैध प्लॉटिंग की संरचना वह कई दफा सूरजकुंड पुलिस थाने में दे चुके हैं। बजाय उसपर कार्यवाही करने के पुलिस ने उन्ही को बंद कर दिया और कई बार अनंगपाल के पाले हुए गुंडों ने भी हमला किया।

भूख से बिलबिलाते 400 लोगों के पास अब न खाने को खाना है न पीने को पानी। जिन लोगों के घर बच गए हैं उन्होंने सामूहिक रूप से पूड़ी सब्जी बना कर अपने बेघर साथियों को दोपहर का खाना तो खिला दिया पर ऐसा कब तक चलेगा नहीं पता। एक व्यक्ति ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अनंगपुर गाँव से बहुत सारे लोग यहाँ आ कर जमीन के नाम से पैसा भी वसूलते हैं। जमीन बेचने के बाद अनंगपुर के गुर्जरों ने बिजली के मीटर भी लगाये और 13 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली बिल लिया। ये बिजली दिल्ली और फरीदाबाद के ही इलाकों से चोरी के माध्यम से लायी जाती है। पीने के पानी की व्यवस्था भी टैंकरों के माध्यम से यही स्थानीय लोग कर रहे थे जिसके बदले में मोटी रकम भी वसूलते हैं।

जमीन खरीद कर मजदूर वर्ग का आदमी जब मकान बनाने लगता है तब वन विभाग के कर्मचारी अपने हिस्से के रूपये लेने आते रहे हैं। उनका कोई रेट तय नहीं था, जो जितने में पट जाए। इसी तरह लोगों ने बताया कि पुलिस पहले पांच हजार के रेट से पैसा लेती थी। पर पिछले कई महीनो से यदि मकान की दीवार की एक इंट भी लगानी है तो पुलिस को 10 हजार रूपये देने पड़ते हैं। ये पुलिस का बंधा हुआ रेट है। पैसा लेने के मामले में कथित रूप से संदीप नामक एक पुलिस कर्मी का नाम लगभग सभी ने लिया।

प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस इलाके को खाली करा लिया। देखा जाए तो पूरी बस्ती ही अवैध बनी हुई है और देर सबेर बचे हुए घर भी टूटेंगे ही। पर कमाल की बात है कि एक इलाके में 30 साल से अवैध प्लोटिंग हो रही है और महकमा कहे कि उसे इसकी कोई खोज खबर ही नहीं, क्या ऐसा संभव है?

सुप्रीम कोर्ट को अमीरों के अवैध फार्म हाउस क्यों नहीं दिखते?

दरअसल झुग्गी बस्ती और ऐसे अवैध प्लाटिंग के कई पैटर्न होते हैं जिनके तार किसी न किसी राजनीतिक दल या आका से जुड़े होते हैं। पर खोरी के इस कालोनी का पैटर्न अन्य से थोड़ा भिन्न है। यहाँ रहने वालों के पास निवास स्थान के नाम पर कोई भी सरकारी कागज नहीं है और न ही ये यहाँ के वोटर हैं। बावजूद इसके यहाँ लम्बे वक्त से बसे हुए हैं तो इसके पीछे एकमात्र कारण स्थानीय गुंडों द्वारा जमीन बेच कर उसमे प्रशासन से लेकर पुलिस तक को चढ़ावा चढ़ना ही है। दरअसल ये पूरा इलाका एक दुधारू गाय की तरह सबको दूध देता रहा इसलिए आबाद भी रहा। पुलिस, वन विभाग, निगम, बिजली विभाग और लोकल गुंडे सब इन गरीबों को लूटते रहे और शायद टूटने का दुःख उन्हें भी होगा कि उनकी कमाई का एक इलाका निकल गया। पर जल्द ही ये भूखे भेड़िये अपनी कमाई का रास्ता फिरसे

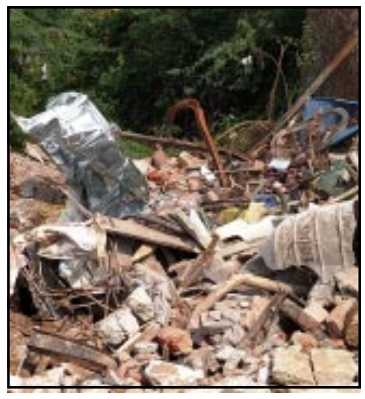

निकाल लेंगे। जिस सुप्रीम कोर्ट को अरावली के नाम से झुग्गी बस्ती और अवैध बसावट का कब्जा दिख रहा है उसे इसी खोरी से सटा अवैध बना राधा स्वामी सत्संग और बड़े-बड़े शादी के पंडाल कैसे नहीं दिखाई दे रहे? सुधि पाठकों को बताते चलें कि अरावली में राधा स्वामी सत्संग के नाम पर सैकड़ों एकड़ की जमीन इसी इलाके में कब्जाई हुई है और अब अरावली में ही बसे एक अन्य स्थान पर कोर्ट के आदेश के बावजूद 12 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। इतना ही नहीं क्रिकेट के मैदान और अन्य कई अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं जो कि पैसे से मजबूत लोगो के है।

कोरोना काल में मारे गए गरीब हर प्रकार से मारे जा रहे हैं। मकान तोड़ने से पहले न कोई नोटिस दिया गया न ही एक घंते का भी वक्त कि वे अपना सामान निकल कर कम से कम उसे ही सुरक्षित रख लेते। इस महामारी में कहीं न किराये पर मकान मिलने की संभावना है और कमाई न होने के बाद अब आशियाना भी टूट जाने के कारण भूख और बदहाली से जीवन का संकट उत्पन हो गया है।

टूटे घरों के मालिक अब मोदी सरकार की उन नीतियों और भाषणों का हवाला देकर गालियाँ दे रहे हैं जिनमे उन्होंने मकान देने का वादा किया था। सरकार पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं को शरण देने की बात करती है और यहाँ अपने ही देश के वैध नागरिकों को जो आत्मनिर्भर भी हैं को उजाड़ देती है। खैर सरकार की नीयत अब किसी से छिपी नहीं है, बशर्ते कोई देखना ही न चाहे। पर न्यायालय को कम से कम इस पूरे प्रकरण में शामिल भूमाफियाओं, वन अधिकारियों, पुलिस और निगम के अधिकारियों को सलाखों के पीछे डालते हुए उनकी भी जवाबदेही तय करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट तोड़-फोड़ एजेंसी बन कर रह गई

झुग्गी बस्ती चाहे खोरी गांव के हो या रेलवे किनारे बसी हो उसे तोड़-बनाने का धंधा अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाथों में ले लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अवैध धंधा अथवा अवैध कब्ज़ा सदैव अवैध ही होता है और अवैध कामों को हटाने का दायित्व न्यायपालिका का न होकर कार्यपालिका का है। हां, यदि कोई निकम्मी, नालायक व भ्रष्ट कार्यपालिका अपना यह दायित्व नहीं निभा रही है तो संज्ञान में आने के बाद न्यायपालिका को इस पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

खोरी गांव की अवैध बस्ती को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर तोड़ दिया गया है। यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अदालत ने उस कार्यपालिका को क्यों तलब नहीं किया जिसने बीते करीब तीसियों वर्ष में इस अवैध बस्ती को बसाया अथवा बसने दिया। विदित है कि यह बस्ती कोई दूर-दराज के जंगलों में स्थित न होकर दिल्ली-फ़रीदाबाद के बॉर्डर पर प्रशासन की नाक के नीचे कायम हैं। शिक्षा से वंचित व अज्ञानता में पले-बढे गरीब मज़दूरों को जब यहां भूमाफियाओं द्वारा प्लॉट बेचे जा रहे थे, चोरी की बिजली बेची जा रही थी, वन विभाग व पुलिस वाले नियमित रूप से वसूलियां कर रहे थे तो कार्यपालिका क्या कर रही थी? न्यायपालिका तभी न्यायकारी कहलाने की हकदार होती यदि वह कार्यपालिका के कुकृत्यों का संज्ञान लेकर उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही करती।

गतांक की चीर-फ़ाड़

सुशांत, रिया व कंगना के मामलों को मीडिया द्वारा जिंदा रखने की साजिश

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

सुशांत, रिया व कंगना के मामलों को मीडिया द्वारा जिंदा रखने की साजिश का 'रिया के जज्बे को सलाम।', 'फ़िल्मी लोगों के मोहपाश में फंसती जा रही हैभाजपा' तथा 'कंगना रनौत के संदर्भ में महिला होने की दुहाई हास्यास्पद' में पर्दाफ़ाश किया गया है। सीबीआई, ईडी व एनसीबी को रिया के विरुद्ध कोई ठोस सबूत न मिलने के बाद महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ भाजपाई नेता ने अब एनआईए द्वारा जांच की मांग की है, हालांकि एनसीबी ने रिया को गिरफ़्तार कर लिया है।

राजनीतिक नेताओं व बिल्डर लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिये फ़रीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ़) द्वारा 26 गुर्जर बहुल गांवों को विकास के नाम पर निगम में शामिल किया जा रहा है जिसकी 'मंत्री ने बेटे को मेयर बनवाने के लिये 26 गांवों पर लगाया दांव-गांवों में भारी विरोध शुरू, ललित नागर ने किया ग्रामीण को लामबंद' में समीक्षा की गई है। एमसीएफ के इस प्रयास के विरुद्ध तिगांव से कांग्रेसी पूर्व विधायक ललित नागर उन ग्रामीणों को लामबंद कर रहे हैं। तो वहीं कई भाजपाई नेता भी विरोध में शामिल हो गए हैं।

मज़दूर मोर्चा के 13-19 सितम्बर 2020 के अंक में समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। मोदी सरकार ने किसानों को आज़ादी देने, उनकी फ़सल का वाजिब मूल्य दिलाने तथा नई तकनीक और संशाधनों के निवेश का रास्ता खुलने के नाम पर तीन अध्यादेश पास किए थे, जिनका हरियाणा व पंजाब के किसान और मंडियों के व्यापारी ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले इन अध्यादेशों के खिलाफ़ कुरूक्षेत्र में 'किसान बचाओ, मंडी बचाओ' महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के किसान जुटे। रैली में जाने से रोकने के लिये पिपली के किसानों पर लाठीचार्ज किया गया जिसमें लगभग 100 किसान घायल हो गए। 'पिपली में किसान पिटते रहे, दुष्यंत और दिग्विजय उल्लू बनाते रहे' में इन अध्यादेशों व भाजपाई खट्टर सरकार के किसान विरोधी रवैये को बेनकाब किया गया है।

किसानों पर लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस समेत अन्य दल इस मुद्दे को लेकर किसानों को समर्थन में सियासी अखाड़े में उतर गये हैं। किसानों के लगभग 200 ग्रुप का संयुक्त संगठन 'अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति' तथा 'हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल' इन अध्यादेशों के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। उनका कहना है कि ये अध्यादेश किसानों, मंडियों, आढतियों व खेतिहर मज़दूरों के खिलाफ़ है।

फ़िल्मी अभिनेता सुशांत की मौत के मामले में बिहार विधान सभा चुनाव के मद्देनज़र एनडीए द्वारा रिया चक्रवर्ती के पीछे सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी एजेंसियां लगाकर रिया को खलनायक बनाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में बम्बई में बीएमसी द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यकाल में अवैध निर्माण को तोड़ने पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा इसके सहयोगी संगठन, साधु-संत समाज व अखाड़े, करणी सेना, राजपूत सेना, हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार तथा मोदी सरकार द्वारा कंगना को खुला समर्थन व सहयोग देकर धर्म व जाति के आधार पर ध्रुवीकरण करने तथा क्षेत्रीयता के मुद्दे को उछालने का प्रयास किया जा रहा है।

ध्यान रहे कि इन गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने के बाद खेती का रकबा कम हो जायेगा। पूरे भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। देश के बेरोजगार युवाओं द्वारा देशवासियों से नौ सितम्बर को रात नौ बज नौ मिनट के लिये लाइट बंद करने के आह्वान की मुहिम का कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा समर्थन करने और भाग लेने को 'हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, लेकिन कांग्रेसी घरों में छिपे बेरोजगार युवकों और किसानों के आंदोलन से बनाई दूरी' में उजागर किया गया है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के केवल राज्य सभा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा अवश्य ट्वीट के जरिए बोलते नज़र आए, लेकिन अन्य कोई प्रमुख कांग्रेसी नेता बेरोजगारों के आंदोलन में दिलचस्पी लेते नज़र नहीं आए।

हिसार में आईजी पद पर तैनात आईपीएस संजय कुमार ने वहां आधिकारिक निवास के साथ-साथ फ़रीदाबाद में पुलिस लाइन में बने गेस्ट हाउस पर भी कब्जा कर रखा है तथा दोनों स्थानों पर उनकी सेवा के लिये वाहन, ड्राइवर, पुलिसकर्मी तथा लांगरी तैनात है, जिसका 'आईजी संजय कुमार का पुलिस गेस्ट हाउस पर कब्जा, अन्य संसाधनों का भी दुरूपयोग-जवाबदेही तो सीपी फ़रीदाबाद की भी बनती है' में भांडाफ़ोड़ किया गया है।

गौरतलब है कि किसी भी अधिकारी द्वारा एक ही समय में दो-दो सरकारी आवास पर कब्जा करना पूर्णतः गैरकानूनी तथा संसाधनों का दुरूपयोग है, जिसके लिये हरियाणा डीजीपी तथा फ़रीदाबाद पुलिस आयुक्त भी जवाबदेह है।

विदित हो कि कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा तथा लाडवा से कांग्रेसी विधायक मेवा सिंह किसान रैली में भाग लेने अनाज मंडी गेट पर पहुंचे थे।